वेदान्त वेली बनाम नायब तहसीलदार पावटा
नाम न्यायालय:- अति० जिला कलक्टर कोटपूतली

58/2021

19.1.22 पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा जरिये वकील न्यायालय नायब तहसीलदार पावटा जिला जयपुर निर्णय दिनांक 18.8.2021 में उनवान सरकार बनाम वेदान्त वेली इन्टरनेशनल स्कूल प्रकरण संख्या 01/2021 के विरुद्ध अपील पेश की है जिसमें वर्णित तथ्य इस प्रकार पेश किये हैं कि वेदान्त वेली एजुकेशन फाउंडेशन जयपुर एक पंजीकृत संस्था है तथा उसके द्वारा ग्राम लाडाकाबास हाल डीडागढ़ तहसील पावटा के ख०नं० 1995/2.55 में वेदान्त वेली इन्टरनेशनल स्कूल डीडागढ़ (लाडाकाबास) तहसील पावटा में संचालित कर रखी है। उक्त आराजी का तहसीलदार कोटपूतली के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 22.10.2011 को सीमाज्ञान करवा भूमि का स्थायीकरण करवा चारदीवारी लगाकर स्कूल का संचालन किया जा रहा है। मौके पर उपरोक्त संस्था द्वारा किसी भी राजकीय भूमि में किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा है परन्तु राजनीतिक व व्यवसायिक द्वेषतावश पटवारी हल्का ने मिलकर कुछ व्यक्तियों द्वारा अपीलान्ट के विरुद्ध आराजी हाल खसरा नम्बर 1995/2833/2.65 वाके मौजा डीडागढ़ तहसील पावटा के 0.45 हे० भूमि पर बाउन्ड्रीवाल लगाने की गलत रिपोर्ट नायब तहसीलदार पावटा के समक्ष प्रस्तुत की जिस पर अपीलान्ट को बिना सूचित किये एवं बिना सुनवाई का मौका दिये नायब तहसीलदार पावटा ने दिनांक 18.8.21 को आदेश पारित कर प्रार्थी/अपीलान्ट का अतिक्रमण जाहिर करते हुए बेदखल करने के आदेश पारित किये हैं जिसकी जानकारी 8.9.21 को होने पर [illegible] किये पत्रावली की नकल प्राप्त कर श्रीमान न्यायालय के समक्ष अपील पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को ना तो समन नोटिस जारी किये ना ही सुनवाई का उचित युक्त अवसर दिया गया अपितु [illegible] विरुद्ध जाकर अपीलान्ट के विरुद्ध उपरोक्त आदेश पारित कर दिया जो प्राकृतिक सिद्धांत के विपरीत है। जबकि अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार कोटपूतली के समक्ष सीमाज्ञान का विधि अनुसार [illegible] प्रस्तुत कर

P.T.O

अति. जिला कलक्टर

दिनांक 22.10.11 को स्कूल का सीमाज्ञान करवा स्कूल का
दिनांक 22.10.11 को स्कूल को सीमाज्ञान करवा कराई का दिनांक 22.10.11 को स्कूल की चारदीवारी लगाकर शैक्षणिक संस्था
संस्था का संचालन किया जा रहा है परन्तु पटवारी हल्का ने बिना
मौका की जांच किये व बिना सीमाज्ञान किये गलत तथ्य
से अपीलान्ट के विरुद्ध उपरोक्त रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के
समक्ष पेश की एवं अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलान्ट को
सूचित किये व बिना सुनवाई का अवसर दिये उपरोक्त आदेश
पारित किये हैं जो विधि विरुद्ध है अतः अपीलान्ट की अपील
स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार
पावटा जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 18.8.21 प्रकरण संख्या
1/2021 व उनवानी सरकार बनाम वेदान्त वेली इंटरनेशनल स्कूल
खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में अभिकथन किया कि
पटवारी हल्का खेलना द्वारा खसरा नम्बर 1995/2833 रकबा
2.65 है किस्म चारागाह/बारानी 2 पर वेदान्त वेली इन्टरनेशनल
स्कूल द्वारा श्रीडागाड लाडाकाबास डायरेक्टर रघुवीर सिंह प्रार्थिया
द्वारा 0.45 हैक्टेयर में बाउन्ड्रीवाल बनाकर नाजायज रूप से अतिक्रमण
किया है की रिपोर्ट पेश होने पर जो सायल/अपीलान्ट को
LR Act-1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया उपस्थित
नहीं होने पर जो सायल के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में
लाई जाकर प्रकरण बेदखली योग्य पाये जाने पर सायल को
आराजी ख०न० 1995/2833 रकबा 2.65 किस्म गैर मुमकिन बारानी-2
मौजा श्रीडागाड लाडाकाबास तहसील पावटा पर अतिक्रमण घोषित
करते हुए उक्त आराजी से बेदखल करके व एक लगान का पचास
गुना जुर्माना किया जाकर मौके से अतिक्रमी को
रखने से बेदखल करने के आदेश दिनांक 18.8.21 को पारित किये
हैं जो न्याय संगत हैं। सरकारी भूमि पर अतिक्रमी/अपीलान्ट
का अतिक्रमण करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है।
अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गई अपील खारिज फरमावें।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं अधीनस्थ न्यायालय
द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया तथा उभयपक्षों की
बहस सुनी जाने पर पाया कि पटवारी हल्का खेलना द्वारा
आराजी ख०न० 1995/2833 रकबा 2.65 है० किस्म बारानी 2

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

वेदान्त वेली बनाम नायब तहसीलदार पावटा
न्यायालय : अति० जिला कलक्टर कोटपूतली

केस संख्या 58/2021

मे वेदान्त वेली इन्टरनेशनल स्कूल [illegible] डायरेक्टर रघुवीरसिंह द्वारा 0.45 हे० पर बाउन्ड्री वाल बना कर नाजायज रूप से अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश की है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा LR Act 1956 के तहत धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस जारी कर जो सायल / अपीलार्थी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर दिनांक 18.8.21 को नाजायज रूप से अतिक्रमी को बेदखल करने के आदेश पारित किये हैं तथा लगान का पचास गुना पैनल्टी आरोपित की गई है प्रकरण में अपीलान्ट के वकील द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य एवं अपने पक्ष में ऐसा कोई दस्तावेजात पेश नहीं किया जिससे यह सिद्ध होता हो कि अपीलार्थी द्वारा उक्त सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलान्ट को सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है इसलिए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गई अपील चलने योग्य नहीं है तथा प्रस्तुत की गई अपील को खारिज किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है

अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गई अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार पावटा पारित निर्णय 18.8.2021 उनवानी सरकार बनाम वेदान्त वेली इन्टरनेशनल स्कूल प्रकरण संख्या 01/2021 को यथावत रखे जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं निर्णय की प्रति तहसीलदार पावटा को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर हुक्म सरे इजलास सुनाया गया

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)